वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा
उत्तरांचल शासन
(उद्यान)

सं0: 1210/418-IV-व.ग्रा.वि./2001 देहरादून: अगस्त 14, 2001

कार्यालय ज्ञाप

विषय : उत्तरांचल औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना

मंत्री परिषद की 4 अप्रैल, 2001 तथा 26 जुलाई, 2001 की बैठकों में लिए गये निर्णयों के क्रम में उत्तरांचल राज्य में औषधीय पादपों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने, इसके संबंध में नीति बनाने तथा प्रदेश के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और उनके विकास तथा निरन्तर प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए श्री राज्यपाल राज्य स्तर पर उत्तरांचल औषधीय पादप बोर्ड (Uttaranchal Medicinal Plants Board) का निम्नवत गठन करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं ।

उत्तरांचल औषधीय पादप बोर्ड :

(1)	माननीय मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
(2)	माननीय उद्यान एवं कल्याण मंत्री	उपाध्यक्ष
(3)	मुख्य सचिव	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास	सदस्य
(5)	सचिव, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
(6)	सचिव, औद्योगिक विकास	सदस्य
(7)	सचिव, वन	सदस्य
(8)	सचिव, पर्यटन	सदस्य
(9)	सचिव/अपर सचिव, उद्यान	सदस्य सचिव

2.2 बोर्ड में अन्य सचिवों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकेगा ।

उत्तरांचल औषधीय पादप बोर्ड के कार्य :

3 सामान्य रूप से औषधीय पादपों के विकास और विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में विभागों/संगठनों तथा केन्द्र के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ राज्य सरकार का समन्वय करने के उद्देश्य से पादप बोर्ड के निम्न कार्य होंगे ।

3.1 प्रदेश, देश और विदेश दोनों में औषधीय पादपों की मांग और आपूर्ति की स्थिति का निर्धारण तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित औषधीय पादप बोर्ड के साथ समन्वय,

3.2 औषधीय पादपों के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित नीति संबंधी मामलों पर संबंधित विभागों को सलाह देना ,

3.3 खेती के लिए पर्याप्त भूमि और औषधीय पादपों को एकत्र करने, भंडारण, परिवहन के लिए आधारिक संरचना वाली एजेन्सियों द्वारा प्रस्ताव, योजनायें, कार्यक्रम आदि तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना ,

3.4 औषधीय पादपों की पहचान, सूचीकरण और परिशोधन,

3.5 औषधीय पादपों की वाह्यस्थाने/स्वस्थाने खेती और संरक्षण को बढावा देना,

3.6 एकत्र करने वाले और उठाने वालों में सहयोगी प्रयास बढ़ाना और अपने उत्पाद के प्रभावशाली भंडारण, परिवहन और विपणन के लिए उनकी सहायता करना,

3.7 सूचीकरण, सूचना के प्रसार और जनता के अधिकार-क्षेत्र में मौजूद पादपों के चिकित्सीय उपयोग के लिए प्राप्त किये जा रहे पेटेंटो के निवारण को सुकर बनाने के लिए डाटा बेस प्रणाली की स्थापना करना,

3.8 देश और विदेश में उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए विपणन के लिए बेहतर तकनीक को अपनाने सहित कच्ची सामग्री के आयात/निर्यात और बढ़ाई गई कीमत वाले उत्पादों से सम्बन्धित मामले, चाहे वे औषधि के रूप में हो, खाद्य संपूरकों के रूप में हो अथवा हर्बल प्रसाधन सामग्री के रूप में हों,

3.9 वैज्ञानिक, तकनीकी अनुसंधान और कीमत के अनुरूप प्रभावकारिता का अध्ययन करना और करवाना,

3.10 खेती और गुणवत्ता-नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना,

3.11 पेटेंट के अधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ।

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान : बोर्ड की शीर्ष क्रियान्वयन ऐजेन्सी

4.1 उत्तरांचल जड़ी बूटी एवं शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर चमोली जिसका पंजीकरण 26 जुलाई, 1993 को किया गया था को उत्तरांचल औषधीय पादप बोर्ड की प्रादेशिक शीर्ष क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में मान्यता दी जाती है ।

4.2 उपरोक्त संस्थान द्वारा उत्तरांचल औषधीय पादप बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों का पादप बोर्ड के निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में क्रियान्वयन किया जायेगा ।

5. उत्तरांचल औषधीय पादप बोर्ड का मुख्यालय देहरादून रहेगा जब कि उत्तरांचल जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान का मुख्यालय चमोली जनपद में ही पूर्ववत रहेगा ।

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

सं0: /418-IV-व.ग्रा.वि./2001
प्रतिलिपि :

1. सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल
2. निजी सचिव, मा. उद्योग मंत्री जी, उत्तरांचल
3. उत्तरांचल औषधीय पादप बोर्ड के समस्त सदस्य
4. निदेशक/ उत्तरांचल जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर, चमोली
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं
7. समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल
8. निदेशक, सूचना उत्तरांचल
9. गोपन, (मंत्रिपरिषद) को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/4/17/2001- सी.एक्स0 के क्रम में ,
10. अनुभाग अधिकारी, उद्यान अनुभाग, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा,

डा0 आर0 एस0 टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त